



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-30092025-266229
CG-CG-E-30092025-266229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4083]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947

No. 4083]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(द.पू.म. रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 15 सितम्बर, 2025

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 A के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 4198(अ).— केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान होने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपबद्ध अनुसूची में दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, द.पू.म. रेलवे के अंतर्गत चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट रेलवे प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) जिला मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर (छ0ग0) को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई होतो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ0ग0) जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, द.पू.म. रेलवे के अंतर्गत चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेलवे प्रोजेक्ट के लिये अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण—

प्रस्तावित चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के भूमि – अधिग्रहण हेतु सर्वे सूची जिला-एम.सी.बी.(छ.ग)

क्र. स.	जनपद/नगरीय निकाय का नाम	तहसील	ग्राम/ नगर	भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	जिसवास्ते जमीन ली जा रही है
1	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	चिरईपानी	169/5	0.017	चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना
2	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	चिरईपानी	169/16	0.008	चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना
3	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	बंजी	36/1	0.100	चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना
4	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	बंजी	36/3	0.060	चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना
5	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	बंजी	4/2	0.020	चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना
6	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	बंजी	4/1	0.004	चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना
7	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	बंजी	169/15	0.004	चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना
8	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	चिरईपानी	107/4	0.015	चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना
योग				8	0.228 हेक्टेयर	

कुल जमीन:- 0.228 हेक्टेयर

[फा.सं. Dy.CE/Con/North/BSP/Chirmiri – Nagpur Road Halt/20A]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 15th September, 2025

Notice under Section 20A of the Railways Act, 1989

S.O. 4198(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 89) (herein after referred as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of Special Railway Project of Railway line from Chirmiri to Nagpur road halt in Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any persons interested in the said land may Within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent Authority, namely Additional Collector (Land Acquisition Officer), District Manendragarh – Chirmiri - Bharatpur (Chhattisgarh) in writing and shall set out grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway Line Project of Manendragarh – Chirmiri - Bharatpur District in the State of Chhattisgarh.

District M.C.B. (C.G.), Land Acquisition survey for proposed Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway Project						
SN	Name of Janpad/Nagriya Nikay	Name of Tahsil	Name of village/ Nagar	Khasra/Plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
1	Manendragarh	Manendragarh	Chiraipani	169/5	0.017	For construction of Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway line project
2	Manendragarh	Manendragarh	Chiraipani	169/16	0.008	For construction of Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway line project
3	Manendragarh	Manendragarh	Banji	36/1	0.100	For construction of Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway line project
4	Manendragarh	Manendragarh	Banji	36/3	0.060	For construction of Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway line project

5	Manendragarh	Manendragarh	Banji	4/2	0.020	For construction of Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway line project
6	Manendragarh	Manendragarh	Banji	4/1	0.004	For construction of Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway line project
7	Manendragarh	Manendragarh	Banji	169/15	0.004	For construction of Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway line project
8	Manendragarh	Manendragarh	Chiraipani	107/4	0.015	For construction of Chirmiri – Nagpur Road Halt Railway line project
Total					0.228 Hectare	

Total land: - 0.228 Hectare

[F. No. Dy.CE/Con/North/BSP/Chirmiri – Nagpur Road Halt/20A]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Con.)